

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 558 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2010—आश्विन 28, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. (19)-बी-4-03-2010-2-पांच.—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसका यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा, राज बाई हरीराम तोषनीवाल मेमोरियल न्यास द्वारा श्री माधव सेवा न्यास, इन्दौर के पक्ष में विद्यालय स्थापित करने के लिए ग्राम पालिया, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर स्थित 2.00 एकड़ भूमि के दान की निष्पादित लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. बी-4-03-2010-2-पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-4-03-2010-2-पांच (19), दिनांक 20 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 20th October 2010

No. (19) F-B-4-03-2010-2-V.—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, on being satisfied that it is necessary so to do in the public interest, hereby, remits the registration fees chargeable on instrument of gift of land admeasuring 2 acres situated

at Village Palia, Tehsil Sanwer, District Indore executed by Raj Bai Hari Ram Toshniwal Memorial Trust in favour of Shri Madhav Seva Nyas, Indore to establish a Vidyalaya.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
A. P. SHRIVASTAVA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. (19)-बी-4-03-2010-2-पांच.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज बाई हरीराम तोषनीवाल मेमोरियल न्यास द्वारा श्री माधव सेवा न्यास, इन्दौर के पक्ष में विद्यालय स्थापित करने के लिए ग्राम पालिया, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर स्थित 2.00 एकड़ भूमि के दान की निष्पादित लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्र. बी-4-03-2010-2-पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-4-03-2010-2-पांच (19), दिनांक 20 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 20th October 2010

No. (19) F-B-4-03-2010-2-V.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on instrument of gift of land admeasuring 2 acres situated at Village Palia, Tehsil Sanwer, District Indore executed by Raj Bai Hari Ram Toshniwal Memorial Trust in favour of Shri Madhav Seva Nyas, Indore to establish a Vidyalaya.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
A. P. SHRIVASTAVA, Principal Secy.